



भारत सरकार

३०१०

डॉ. मनसुख मांडविया

DR. MANSUKH MANDAVIYA

श्रम एवं रोजगार और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री

Minister of Labour & Employment and Youth Affairs & Sports

भारत सरकार/Govt. of India

नई दिल्ली-110001/New Delhi-110001

लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर
रखे जाने वाला कागजात

PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE
OF THE LOK SABHA/RAJYA SABHA

अधिप्रमाणित

AUTHENTICATED

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए

निर्गम-परिणाम निगरानी रूपरेखा (ओओएमएफ)

(मांग संख्या 64)

1. राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) [सीएस]

वित्तीय परिव्यय (2025-26)	निर्गम (2025-26)			परिणाम (2025-26)			
	रुपये करोड़ में	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य	परिणाम	संकेतक	
77.00	1) नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों और नियोक्ताओं के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करना	<p>1.1) एनसीएस पोर्टल पर पंजीकृत नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या</p> <p>1.2) एनसीएस पोर्टल पर पंजीकृत नियोक्ताओं की संख्या</p> <p>1.3) आयोजित किए गए नौकरी मेलों की संख्या</p>	<p>लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं है, वास्तविक रिपोर्ट किया जाएगा@</p>	3,000	<p>1) नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों और नियोक्ताओं के लिए एक गतिशील, कुशल और उत्तरदायी तरीके से नौकरी मिलान के लिए एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना</p>	<p>1.1) NCS पोर्टल के माध्यम से जुटाई गई रिक्तियों की संख्या</p>	<p>लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं है, वास्तविक रिपोर्ट किया जाएगा@</p>

@एनसीएस परियोजना लक्ष्य आधारित नहीं है। NCS के तहत गतिविधियां नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों और नियोक्ताओं के पंजीकरण को बढ़ाने, अधिक रिक्तियों को जुटाने, अन्य सरकारी / निजी नौकरी पोर्टलों के साथ एकीकरण करने, श्रम की मांग और आपूर्ति के बीच मिलान को मजबूत करने, कैरियर परामर्श सेवाओं को प्रदान करने पर केंद्रित हैं।

2. श्रम और रोजगार सांख्यिकीय प्रणाली (एलईएसएस) [सीएस]

वित्तीय परिव्यय (2025-26)	निर्गम (2025-26)			परिणाम (2025-26)		
रुपये करोड़ में	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य
72.72	1) सूचकांकों को समय से जारी करना	1.1) समय पर पूरे किए जाने वाले सूचकांकों की संख्या*	03	1) रोजगार, मजदूरी, कमाई, उत्पादकता और श्रम के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न अन्य पहलुओं पर डेटा का सृजन	1.1) वेबसाइट से प्रकाशनों के डाउनलोड की संख्या	4,500
	2) ज्ञान सृजन	2.1) समय पर प्रकाशित रिपोर्टों की संख्या**	16	1.2) वेबसाइट पर आगंतुकों की संख्या	1,25,000	

*सूचकांकों की संख्या: 03 [औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) का मासिक संकलन और प्रकाशन, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) का मासिक संकलन और प्रकाशन, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आरएल) का मासिक संकलन और प्रकाशन]

**रिपोर्ट / प्रकाशनों की संख्या: 16

- (1) कारखाना अधिनियम, 1948.
- (2) ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926.
- (3) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948.
- (4) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936.
- (5) दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम.
- (6) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961.
- (7) बागान श्रम अधिनियम, 1951.
- (8) कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923.
- (9) मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961.
- (10) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946.
- (11) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947.
- (12) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत श्रम संबंधी आंकड़ों के संग्रह पर रिपोर्ट.
- (13) भारतीय श्रम जर्नल (आईएलजे).
- (14) श्रम संबंधी आंकड़ों की पॉकेट बुक (पीबीएलएस) / भारतीय श्रम वार्षिक पुस्तिका (आईएलवाईबी).
- (15) एएल/आरएल/आईडब्ल्यू के लिए सीपीआई आंकड़ों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट.
- (16) ग्रामीण भारत में मजदूरी दर पर पुस्तिका.

3. असम में चाय बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा [सीएस]

वित्तीय परिव्यय (2025-26)	निर्गम (2025-26)			परिणाम (2025-26)		
	रूपये करोड़ में	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य	परिणाम	संकेतक
66.87	1) मृत सदस्यों के परिवार को पारिवारिक पेंशन योजना (एफपीएस) के भुगतान का प्रावधान	1.1) कुल पात्र सदस्यों में से पारिवारिक पेंशन योजना (एफपीएस) के तहत पंजीकृत सदस्यों की संख्या का प्रतिशत*	100%	1) पारिवारिक पेंशन दावों का समय पर संवितरण (7 दिनों के भीतर)	1.1) एफपीएस के अंतर्गत कुल संवितरण का समयानुकूल संवितरण का प्रतिशत (7 दिनों के भीतर)	95%
	2) सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले मृत सदस्यों के परिवार को निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (डीएलआईएस) का प्रावधान	2.1) कुल पात्र सदस्यों में से निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (डीएलआईएस) के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या का प्रतिशत		2) निक्षेप सहबद्ध बीमा दावों का समय पर संवितरण (7 दिनों के भीतर)	2.1) डीएलआईएस के अंतर्गत कुल संवितरण का समयानुकूल संवितरण का प्रतिशत (7 दिनों के भीतर)	
				3) असम चाय बागान कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रदायगी की क्षमता	3.1) चाय बागान कामगारों की कुल संख्या में से योजना के अंतर्गत शामिल चाय बागान कामगारों का प्रतिशत**	1.81%

*परिवार पेंशन-सह-जीवन बीमा योजना के पात्र सदस्य असम में एटीईपीएफओ के साथ पंजीकृत कुल चाय बागान कामगार हैं, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। आज की तारीख में, परिवार पेंशन-सह-जीवन बीमा योजना के पंजीकृत सदस्य एटीईपीएफओ से मासिक परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले परिवार पेंशन लाभार्थी हैं। परिवार पेंशन-सह-जीवन बीमा योजना के लिए पात्र सदस्य, योजना का मासिक परिवार पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत सदस्य / लाभार्थी होगा और इसलिए, वित्त वर्ष 2025-26 में लक्ष्य 100% है।

**वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए परिवार पेंशन-सह-जीवन बीमा योजना और निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए चाय बागान कामगारों (पात्र सदस्य) की कुल संख्या क्रमशः 21,442 और 3,105 अनुमानित की गई है, (अर्थात् कुल पात्र सदस्य = 24,547)। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए चाय बागान कामगारों की कुल संख्या 13,50 लाख अनुमानित है। इसलिए, चाय बागान कामगारों के कुल सदस्यों में परिवार पेंशन-सह-जीवन बीमा योजना और निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के पात्र सदस्यों का प्रतिशत 1.81% ($24,547/13,50,000*100$) है। यह चाय बागान कामगारों की कुल संख्या की तुलना में कम लक्ष्य है, जिसके लिए परिवार पेंशन-सह-जीवन बीमा योजना और निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के तहत पात्रता के मानदंड यानी सेवा के दौरान मृत्यु, को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

4. श्रम कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस) [सीएस]

वित्तीय परिव्यय (2025-26)	निर्गम (2025-26)			परिणाम (2025-26)		
रुपये करोड़ में	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य
50.68	1) शिक्षा के क्षेत्र में बीड़ी / सिने / लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खदानें (आईओएमसी) / चूना पत्थर खदानें और डोलोमाइट खदानें (एलएसडीएम) / अभ्रक कामगार और उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करना	1.1) वित्त वर्ष 2025-26 में प्राप्त कुल आवेदनों में से अंतिम रूप से सत्यापित / जांच किए गए पात्र आवेदनों की संख्या	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं, वास्तविक रिपोर्ट किया जाएगा^	1) शिक्षा के क्षेत्र में बीड़ी / सिने / लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खदानें (आईओएमसी) / चूना पत्थर खदानें और डोलोमाइट खदानें (एलएसडीएम) / अभ्रक कामगार और उनके आश्रितों को लाभ प्रदान करना	1.1) वित्त वर्ष 2025-26 में स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	1,00,000
	2) स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीड़ी / सिने / लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खदानें (आईओएमसी) / चूना पत्थर खदानें और डोलोमाइट खदानें (एलएसडीएम) / अभ्रक कामगार और उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करना	2.1) वित्त वर्ष 2025-26 में उपचारित मरीजों की संख्या*	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं, वास्तविक रिपोर्ट किया जाएगा@	2) स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अस्पताल / औषधालयों में पंजीकृत लाभार्थियों की कुल संख्या**	2.1) वित्त वर्ष 2025-26 में श्रमिकों और उनके आश्रितों को प्रदान की गई कुल कवरेज**	लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं, वास्तविक रिपोर्ट किया जाएगा@

^राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) में एक शैक्षणिक वर्ष में सत्यापन / जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र आवेदनों की कुल संख्या बनाम प्राप्त कुल आवेदनों के बीच का अनुपात। यह आकलन करने के लिए कि क्या योजना में कोई संशोधन आवश्यक है, शिक्षा योजना के कवरेज का अध्ययन करना।

*उपचारित मरीजों की संख्या में पंजीकृत कामगारों के आश्रित भी शामिल हैं।

@एलडब्ल्यूएस संबंधी "स्वास्थ्य" घटक एक मांग-संचालित योजना है, इसलिए लक्ष्य पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

**अस्पताल और डिस्पेंसरी में पंजीकृत कामगारों की कुल संख्या स्थिर बनी हुई है, क्योंकि योजना में कोई नया सदस्य नहीं जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत / ईएसआईसी के तहत स्वास्थ्य घटक को एकीकृत करने पर विचार-विमर्श चल रहा है।

5. ई-श्रम पोर्टल (असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस - एनडीयूडब्ल्यू) [सीएस]

वित्तीय परिव्यय (2025-26)	निर्गम (2025-26)			परिणाम (2025-26)			
	(रुपये करोड़ में)	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य
27.80	1) असंगठित कामगारों को यूनिक आईडी उपलब्ध कराना	1.1) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की संख्या 1.2) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत महिलाओं की संख्या 1.3) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत आकांक्षी जिलों के व्यक्तियों की संख्या*	लक्ष्य सहज अनुगमी नहीं हैं, वास्तविक रिपोर्ट किया जाएगा@	1) असंगठित कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रदायगी की क्षमता	1.2) ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित कामगारों की संख्या 1.3) ई-श्रम के साथ एकीकृत / मानचित्रित योजनाओं की संख्या	लक्ष्य सहज अनुगमी नहीं हैं**	लक्ष्य सहज अनुगमी नहीं हैं^

@ईएफसी नोट के अनुसार, वर्ष 2024-25 तक ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के पंजीकरण का लक्ष्य 25 करोड़ है, जो व्यय विभाग की मंजूरी से तय किया गया था। हालाँकि, 31.12.2024 तक ई-श्रम पोर्टल पर 30.50 पंजीकरण पहले ही किए जा चुके हैं।

*ई-श्रम पंजीकरण के समय पंजीकरणकर्ता के वर्तमान और स्थायी पते को कैप्चर करता है। ई-श्रम स्थायी पते के आधार पर आकांक्षी जिलों के अंतर्गत पंजीकरण संख्या प्रदान कर सकता है।

**वर्तमान में, ई-श्रम: वन-स्टॉप-सॉल्यूशन को पीएमएसवाईएम, एनसीएस और 12 केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ एकीकृत / मैप किया गया है। ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं की संख्या प्रदान की जा सकती है। हालाँकि, चूँकि ये माँग आधारित योजनाएँ हैं, इसलिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया जा सकता है।

~यह पैरामीटर उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह संबंधित मंत्रालयों / विभागों पर निर्भर करता है। इसके अलावा, ई-श्रम सांख्यिकीय डेटा ई-श्रम डैशबोर्ड पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और अनाम डेटा www.data.gov.in पर उपलब्ध है। इस प्रकार, सभी मंत्रालयों / विभागों के पास इस जानकारी, डेटा तक पहुँच है और वे कल्याण / सामाजिक सुरक्षा योजना बनाने और पेश करने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।

6. एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन [सीएस]

वित्तीय परिव्यय (2025-26) (रुपये करोड़ में)	निर्गम (2025-26)			परिणाम (2025-26)		
	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य
20.61	<p>1) अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) के नौकरी इच्छुकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन और कैरियर परामर्श सेवाएँ प्रदान करना</p>	<p>1.1) व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए पंजीकृत एससी / एसटी के नौकरी इच्छुकों की संख्या</p> <p>1.2) कैरियर परामर्श सेवाएँ प्रदान किए गए एससी / एसटी के नौकरी इच्छुकों की संख्या</p>	1,50,000	<p>1) अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) के नौकरी इच्छुकों की रोजगार क्षमता बढ़ाना</p>	<p>1.1) एससी / एसटी उम्मीदवारों की संख्या जिन्हें एससी/एसटी के लिए एनसीएस द्वारा प्रशिक्षित किया गया है</p>	5,000